



# लिंग आधारित हिंसा (GBV)

## लैंगिक हिंसा क्या होती है?

लिंग आधारित हिंसा (GBV) को किसी व्यक्ति या समूह पर उनके वास्तविक या माने गये निम्न के आधार पर निदेशित किसी भी हानिकारक खतरे या कार्रवाई के रूप में पारिभाषित किया जाता है:

- जैविक लिंग
- लिंग की पहचान
- लिंग अभिव्यक्ति
- यौन अभिविन्यास
- पुरुषत्व या स्त्रीत्व से संबंधित सामाजिक मानदंडों से अंतर

अपराधी सरकारी अधिकारी या संगठन, परिवार के सदस्य, धार्मिक नेता, अन्य लोग जिन्हें आप जानते हैं, या जो अजनबी हैं, कोई भी हो सकते हैं। लैंगिक हिंसा (GBV) जैसे कि स्वेच्छाचारी हत्याएँ, अत्याचार, यौन हिंसा और जबरन विवाह का उपयोग युद्ध की रणनीति के रूप में या सामाजिक अस्थिरता की समयावधियों के दौरान भी किया जा सकता है।

## लिंग आधारित हिंसा के उदाहरण

GBV के आम स्वरूपों में शामिल हैं:

- घरेलू हिंसा
- डेटिंग हिंसा
- महिला के जननांगों की विकृति या उन्हें काटना (FGM/C)
- पीछा करना
- ज़बरदस्ती की शादी
- यौन हिंसा जिसमें यौन शोषण, मारपीट और उत्पीड़न शामिल होता है

## आपकी भाषा में गोपनीय सहायता उपलब्ध है

- राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन से 800-799-7233, 800-787-3224 (बधिर या सुनने में परेशानी होने वाले व्यक्ति TTY) पर सम्पर्क करें
- बलात्कार, दुर्व्यवहार और अनाचार के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क (RAINN) राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न हॉटलाइन से 800-656-4673 पर सम्पर्क करें
- राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन से 888-373-7888 पर सम्पर्क करें
- ताहिरीह न्याय केंद्र की जबरन विवाह पहल से 571-282-6187 या [FMI@tahirih.org](mailto:FMI@tahirih.org) पर सम्पर्क करें
- बाल सहायता राष्ट्रीय बाल दुर्व्यवहार हॉटलाइन से 800-4-A-CHILD (800-422-4453) पर सम्पर्क करें
- U.S. एंड FGM/C नेटवर्क से [info@endfgmnetwork.org](mailto:info@endfgmnetwork.org) पर सम्पर्क करें



अधिक जानकारी के लिए